17211

STOCK HOLDING CORPORATION OF INDIA LTD. GHAZIABAD

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP00413376145028M
Certificate Issued Date	:	12-Jun-2014 12:03 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ GHAZIABAD/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0100491816820254M
Purchased by	:	SHRI LAXMI ARCHCON PVT LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	PLOT NO. 2B/INS-06 SEC-2B VASUNDHARA GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.)	:	8,10,40,500 (Eight Crore Ten Lakh Forty Thousand Five Hundred only)
First Party	:	UP AWAS EVAM VIKAS PARISHAD
Second Party	:	SHRI LAXMI ARCHCON PVT LTD
Stamp Duty Paid By	:	SHRI LAXMI ARCHCON PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	58,87,000 (Fifty Eight Lakh Eighty Seven Thousand only)

.................Please write or type below this line.................

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विकय विलेख

यह विकय विलेख आज दिनांक 12 माह मई वर्ष 2014 को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद्, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्पिती है और सम्मिलित है।

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

00000341533

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये **Rs. 100**

100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BK 249549

[2]

एक पक्ष और मैसर्स श्री लक्ष्मी आरकौन प्राईवेट लिमिटेड, फ्लैट–401, बी–4, टावर प्लाट–14, कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेन्टर, दिल्ली–92 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता निवासी–226, बैंक इन्कलेव, नियर लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92 जिसको एतद्पश्चात पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि–

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाज़ियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHOON PVT. LTD.

Director

Scanned by CamScanner

क्रम सं० 86 स्टाम्प विक्रय की तिथि 12/6/14
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....
स्टाम्प क्रय करने वाले का नाम Shri Laxmi Archeon (P) Ltd
पता 401 / V4 Tower, Karkardooma Community Center
स्टाम्प की धनराशि 100 रु

जितेन्द्र सिंह स्टाम्प विक्रेता
ला०नं० 305, लाईसेन्स की अवधि–31–3–2015
विक्रय स्थान – उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा परिसर, गाजियाबाद

विक्रय पत्र

81,040,500.00 /	165,224,815.00	10,000.00	60	10,060.00	3,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री मै.श्री लक्ष्मी आरकॉन प्रा0 लि0 द्वारा सुशील गुप्ता
पुत्र श्री सीताराम गुप्ता
व्यवसाय अन्य
निवासी स्थायी 401बी 4 टावर प्लाट नं-14कडकडडुमा कम्यु0 सेन्टर दिल्ली 02
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/6/2014 समय 10:27AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
16/6/2014

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री शिशुपाल
प्रतिनिधि एस वी सिह उप आवास आयुक्त आवास विकास
पुत्र श्री
पुत्र/पत्नी श्री पेशा नौकरी

क्रेता

श्री मै.श्री लक्ष्मी आरकॉन प्रा0 लि0 द्वारा सुशील गुप्ता
पुत्र श्री सीतारा गुप्ता
पेशा अन्य
निवासी 401बी 4 टावर प्लाट नं-14कडकडडुमा कम्यु0 सेन्टर दिल्ली 02

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री मनीष कुमार
पुत्र श्री ग्यारसी लाल गुप्ता
पेशा अन्य
निवासी सी 379गली न 9ए वेस्ट विनोद नगर, दिल्ली 92

व श्री अकित शर्मा
पुत्र श्री वी के शर्मा
पेशा अन्य
निवासी तहकम्प गाबाद

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबन्धक (चतुर्थ)
गाजियाबाद
16/6/2014

Scanned by CamScanner

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में वसुन्धरा नामक मुहल्ले के सैक्टर–2बी में स्थित संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6 का कुल मूल्य है। और चूंकि उक्त परिषद ने रू0–8,10,40,500.00 (रुपये आठ करोड दस लाख चालीस हजार पॉच मात्र) जिसका आधा रू0–4,05,20,250.00 (रू0 चार करोड पॉच लाख बीस हजार दो सौ पचास मात्र) होता है, उक्त भूखण्ड का किराया किस्त क्रय अनुबन्ध रु0–56,79,000.00 (रूपये छप्पन लाख नवासी हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कार्यालय उप निबन्धक (चतुर्थ) गाजियाबाद के बही नं0 1 जिल्द नं0 15165 के पृष्ठ 01 से 464 पर क्रमांक 9295 पर दिनॉक 30.03.2010 मे पंजीकृत है के प्रतिफल स्वरूप उक्त संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6 को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतद्पश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

Scanned by CamScanner

विक्रेता

Registration No.: 17211 Year : 2,014 Book No. : 1

0101 शिशुपाल प्रतिनिधि एस वी सिह उप आवास आयुक्त आवास वि

नौकरी

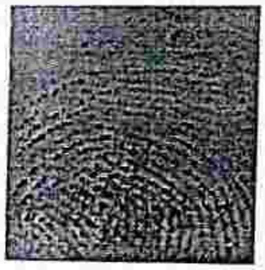

Scanned by CamScanner

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तो के अधीन क्रय करने के लिए सहमत है अतएव अब रू0–8,10,40,500.00 (रुपये आठ करोड दस लाख चालीस हजार पॉच मात्र) धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तो के अधीन परिषद् एतद् द्वारा वसुन्धरा योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6 जिसे नीचे दीगई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है :–

1– परिषद को उक्त सम्पत्ति का, जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद् का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

2– एतद् द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्प्रत्ति समस्त भार से मुक्त है।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

Scanned by CamScanner

क्रेता

Registration No. : 17211 Year : 2,014 Book No. : 1

0201 मै.श्री लक्ष्मी आरकॉन प्रा0 लि0 द्वारा सुशील गुप्ता

सीताराम गुप्ता

401बी 4 टावर प्लाट नं-14कडकडडूमा कम्यु0 सेन्टर दिल्ली 02

अन्य

Scanned by CamScanner

3– उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक केता को प्रदत्त किया गया, अथवा किया जाना है।

4– इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद् द्वारा या उक्त परिषद् के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

5–यदि इच्छुक केता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद् के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद् इच्छुक केता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूति करेगी।

6–उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित संस्थागत भूखण्डो और मकानों के इच्छुक केताओं को नीलामी पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय–समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:–

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

Scanned by CamScanner

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक केता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक केता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा।

ख) इच्छुक केता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल **संस्थागत भूखण्ड** योजना के लिए किया जाएगा।

7– उक्त सम्पत्ति का विकय कर दिया गया है और इच्छुक केता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ कय किया है कि इच्छुक केता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देन दार रहेगा और यह कि इच्छुक केता उक्त परिषद् की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक केता द्वारा परिषद् को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त **संस्थागत** भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6 पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद् उक्त धनराशि को 24 प्रतिशत (चौबीस प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत केता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Scanned by CamScanner

8– पंजीकृत इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति का उपयोग संस्थागत भूखण्ड योजना के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगा/करेगी और वह विकय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद् के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगा/करेगी।

9– इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक केता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

10–केता ने विलेख में दिये गये निबन्धन और शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विकय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तो के अधीन होंगे।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

11. किराया–किश्त केता आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा कराएगा।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

13. संस्थागत भूखण्ड का एफ0ए0आर0 परिषद/शासन द्वारा निर्धारित उपविधियो के अनुसार अनुमन्य होगा।

14. विद्युत/ट्रांसफारमर का व्यय स्वयं केता को व्यय करना होगा।

15. समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

16. विकय-विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किश्त केता का होगा। उक्त विलेख में उल्लिखित नियमों व प्राविधानों में विकय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विकय विलेख निष्पादन से पूर्व अथवा बाद में समय–समय पर बनाये गये शासन/ परिषद के नियम केता को मान्य होंगे ।

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Scanned by CamScanner

17. उ0प्र0 शासन द्वारा जारी जोनिंग रेगूलेसन्स में कार्यालय उपयोग तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं के समतुल्य मानते हुये संस्थागत भूखण्डों में निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुमन्य की जा सकती है। राजकीय, अर्ध राजकीय कार्यालय, निजी कार्यालय, अनुसंधान/विकास/ शोधकेन्द्र, राष्ट्रीय एंव निजी बैंको के जोनल/रीजनल कार्यालय (एक ब्रांच सहित), बारातधर, बैंकेट हाल, उच्च तकनीकी संस्थान प्रबन्धन संस्थान, उच्च माध्यमिक/इन्टर कालेज, महाविघालय, पॉलीटैक्निक, मैडीकल/डैन्टल कालेज, अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र ,टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र ,टेलीविजन केन्द, सभा भवन, योग–मनन–प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन, धर्मिक भवन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/ ओडीटोरियम, नाटयशाला/थियटर, म्यूजियम, आर्टगैलरी/ प्रदर्शनी केन्द्र ,संगीत/नृत्य–नाटय प्रशिक्षण/कला केन्द्र, पुस्तकालय, क्लब, खेलकूद केन्द्र, साईबर कैफे आदि वह सभी उपयोग जो आवासीय तथा व्यवसायिक श्रेणी के अर्न्तगत ना होते हो।

18. संस्थागत भूखण्डों के भू प्रयोग में परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नही होगा।

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Gupta

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Scanned by CamScanner

19. संस्थागत भूखण्डों में मैदा/मदिरा/आटा चक्की/वेल्डिंग व कोल्हू एवं पॉल्यूशन करने वाले आवासीय व व्यावसायिक कार्य प्रतिबंधित हैं।

20. संस्थागत भूखण्डों के अन्तर्गत आवंटित होने वाले स्कूल/कालेज, तकनीकी संस्थाओं आदि को भूमि मूल्य में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

21. संस्थागत भूखण्डों के निर्माण मानकों के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि उक्त प्रयोजनों में से जिनके लिए निर्माण पैरामीटर्स भवन निर्माण उपविधि/सुसंगत शासनादेशों में पहले से ही निर्धारित हैं, तब वह यथावत् मान्य होंगे। परन्तु यदि किसी प्रयोजन हेतु वर्तमान में कोई मापदण्ड निर्धारित न हो तब उनके लिए संस्थागत सुविधा के अनुरूप प्रदेशन पत्र की शर्तों के अनुसार एफ0ए0आर0 तथा भू-आच्छादन अनुमन्य होगा।

22. संस्था को परिषद/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियम/शर्तें मान्य होंगी।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

Scanned by CamScanner

23. परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य अनुमन्य होगा। निर्माण कार्य भौतिक कब्जा की तिथि से 5 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना होगा ।

24. संस्थागत भूखण्ड में अग्निशमन एवं आस–पास के वातावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना अनिवार्य होगा साथ ही आवासीय पर्यावरण/महायोजना प्रस्ताव अथवा परिषद द्वारा किये गये विकास कार्यो के हित के विपरीत न हो।

25. आवंटित भूखण्ड पर समय से निर्माण कार्य पूर्ण न करने पर परिषद नियमानुसार अनिर्माण शुल्क संस्था द्वारा देय होगा।

26. किसी भी विवाद की दशा में आवास आयुक्त म0 का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

11– वर्तमान सर्किल दर के अनुसार **2794.50x50000.00x10%x7.5%** कुल मूल्य रू0–**165224815.00** आता है जिस पर 7 प्रतिशत की दर से रू0–**11565740.00** के स्टाम्प पेपर आते है। जिसमें से रू0–**5679000.00** पर निष्पादित अनुबन्ध के स्टाम्प पेपर घटाने के उपरान्त रू0–**58,87,000.00** के स्टाम्प पेपर पर विक्रय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एंव विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.
Director

Scanned by CamScanner

जिसके साक्ष्य में श्री एस० पी० सिंह, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से मैसर्स श्री लक्ष्मी आरकॉन प्राईवेट लिमिटेड, फ्लैट–401, बी–4, टावर प्लाट–14, कड़कड़डूमा कम्युनिटी सेन्टर, दिल्ली–92 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी श्री सुशील गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता निवासी–226, बैंक इन्क्लेव, निकट लक्ष्मी नगर, दिल्ली–92 की ओर से स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्मति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने–अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची "क"

विक्रय की गई सम्पत्ति की अनुसूची

सीमाएं		सम्पत्ति संख्या– संस्थागत भूखण्ड सं0–2बी/आई0एन0एस0–6	
उत्तर ...	संलग्न	क्षेत्रफल–2704.50 वर्गमी0	
पूर्व ...	साईट प्लान	पूर्व	संलग्न
दक्षिण	के	पश्चिम	साईट प्लान
पश्चिम..	अनुसार	उत्तर ...	के
		दक्षिण	अनुसार

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

Scanned by CamScanner

Manish Gupta

मनीष कुमार गुप्ता S/o श्री प्यारेलाल गुप्ता
C-379, गली नं -9A, West Vinod Nagar
Delhi-92

Ankit

अंकित शर्मा S/o श्री बी के शर्मा
ब० का० गाजियाबाद

1–साक्षी : विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर Mmmmupt
2. नाम MANISH GUPTA
3. पता B-308, West Vinod Nagar
Delhi -92

2–साक्षी :

1. हस्ताक्षर Manish Gupta
2. नाम Manish Kr. Gupta
3. पता C-129, Gali No. 3A
West Vinod Nagar Delhi-92

उप आवास आयुक्त
आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

1–साक्षी :

1. हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

2–साक्षी :

1. हस्ताक्षर
2. नाम
3. पता

1. हस्ताक्षर
2. नाम– श्री सुशील गुप्ता (अधिकृत हस्ताक्षरी)
मैसर्स श्री लक्ष्मी आरकॉन प्राईवेट लिमिटेड,
3. पता –226, बैंक इन्कलेव, निकट लक्ष्मी नगर,
दिल्ली–92

Scanned by CamScanner

उक्त लेखपत्र के पूर्व में निष्पादित प्रलेख सं 9937/14 पर लगा स्टाम्प 5679000/- से काटा गया दिनांक 16/6/14 को लेखपत्र सं 17211 में दर्ज किया गया

16/6/14

आज दिनांक **16/06/2014** को

बही सं **1** जिल्द सं **27746**

पृष्ठ सं **211** से **238** पर क्रमांक **17211**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी
उप निबंधक (सदर)
गाजियाबाद
16/6/2014

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION-27
U.P AVAS EVAN VIKAS PARISHAD. VASUNDHARA YOJNA, GHAZIABAD.

SITE PLAN OF PLOT No- INS-6 IN SECTOR NO. 28
SITUATED AT VASUNDHARA YOJNA GHAZIABAD.

SL NO. 942

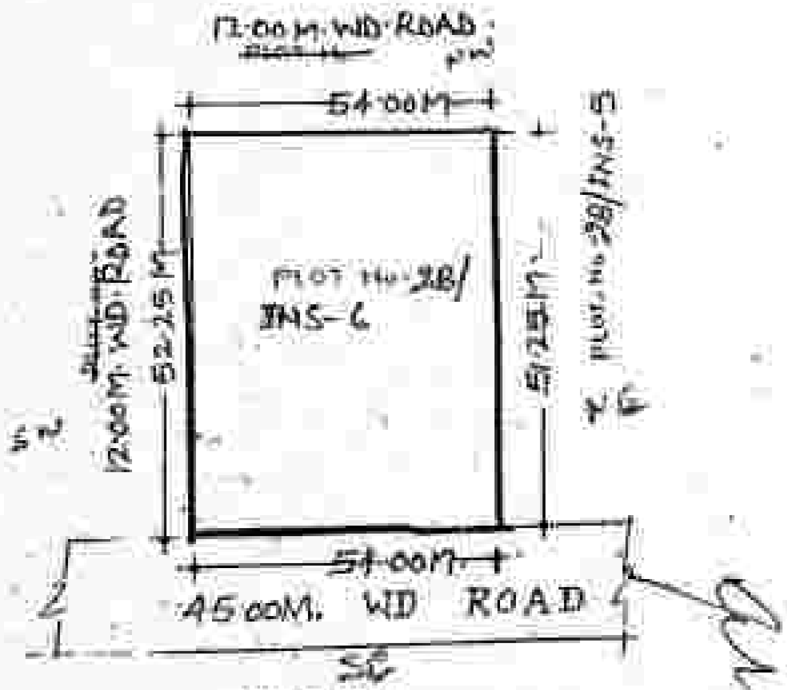

OWNER:- M/S SHRI LAXMI ARCHON (P) LTD.

ADD:- 401, V-4, TOWER PLOT No- 15
KARKARDOOMA COMMUNITY CENTRE
DELHI

AREA

NORTH = FRONT =
SOUTH = BACK
EAST = LEFT
WEST = RIGHT

For SHRI LAXMI ARCHCON PVT. LTD.

Director

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद

ENGR.